न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

पीठासीन अधिकारी जगदीश प्रसाद गौड
R.A.S

प्रार्थना पत्र सं 109/2014

उनवान

1. सुरती उर्फ सुवा पुत्री तुलसा जाति दर्जी निवासी गांवडी हाल निवासी भाबरू तहसील विराट नगर जिला-जयपुर

प्रार्थीया

बनाम

1. नन्दलाल पुत्र तुलसा जाति दर्जी निवासी गांवडी तहसील नीमकाथाना

2. गुल्ला उर्फ गुलझारी (मृतक)

2/1 मामराज पुत्र गुलझारी उर्फ गुल्ला

2/2 झाबरमल पुत्र गुलझारी उर्फ गुल्ला

समस्त जाति दर्जी निवासीगण वार्ड नं० 24 नीमकाथाना

3. सुभाष पुत्र नन्दलाल

4. सत्यनारायण पुत्र नन्दलाल

जाति दर्जी निवासी गांवडी तहसील नीमकाथाना

5. जगरूप सिंह पुत्र राम सिंह जाति राजपूत निवासी सेफरा-गुवार तहसील खेतडी जिला झुन्झुनु

6. मनीष भटनागर पुत्र गोविन्दराम जाति भडभूंजा निवासी वार्ड न०10 नीमकाथाना

7. कैलाश अग्रवाल पुत्र धीसालाल जाति महाजन निवासी मगंल भवन जी 6,7 विजय बाडी पथ न०6 सीकर रोड जयपुर

8. सीताराम अग्रवाल पुत्र धीसालाल अग्रवाल कोम महाजन निवासी मंगलदीप 2/246 विधाधर नगर जयपुर

9. राजेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र धीसालाल अग्रवाल कौम महाजन निवासी मगंल पैलेस 2/220 विधाधर नगर जयपुर

10 उप पंजीयन अधिकारी नीमकाथाना

11 तहसीलदार (भूमिधारी) नीमकाथाना

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

(उपखण्ड अधिकारी)
नीमकाथाना

उपस्थित! श्री मुरारीलाल शर्मा एड० - प्रार्थीया
श्री गोपाल लाल शर्मा एड० अप्रार्थी 7 ता 9
श्री मुकेश कुमार सैनी एड० अप्रार्थी 1 व 211 से 212

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक</u> 12-2-2018

संक्षेप में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि ख०न० 659 व 825 किता 2 रकबा 2.18 है० जिसके नये ख०न० 517, 518, 876 रकबा 2.18 है० वाके ग्राम गावडी तहसील नीमकाथाना में स्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थी 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है। उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी के पिता तुलसाराम की मिलकियत की सम्पति है। जिसमे में प्रार्थीया का भी 1/3 हिस्सा विरासत तुलसाराम की पुत्री होने के कारण बनता है। प्रार्थना पत्र की मद न० 1 में वर्णित भूमि प्रार्थीया की पैतृक भूमि है। प्रार्थीया मृतक तुलसा की पुत्री है। अप्रार्थी न० 2 को विरासत में मिली प्रार्थीया व अप्रार्थी न० 1 व 2 एक ही खानदान से है। कानून के अनुसार एक ही खानदान के होते इमे जन्म से ही सह दायिक सम्पति के हक उत्पन्न हो जाते है। इस प्रकार कानून के अनुसार प्रार्थीया व अप्रार्थी न० 1 व 2 का बराबर-बराबर हिस्सा है। उक्त भूमि तुलसा मृतक से अकेले अप्रार्थी न० 2 गुल्ला के नाम दर्ज हो गयी। गुल्ला काफी वृद्ध व्यक्ति है। उसका मानसिक सन्तुलन खराब है। इसी बात का बेजा फायदा उठाकर अप्रार्थी 3 ता 7 ने उक्त भूमि का विक्रय पत्र गलत रूप से अपने नाम करा लिया जबकि इनका कभी भी इस भूमि पर कब्जा नही रहा। प्रार्थीया अपने 1/3 हिस्से पर लगातार काबिज है। अप्रार्थी प्रार्थीया को उसके 1/3 हिस्से की भूमि से महरूम करना चाहते है। प्रार्थीया अपने हिस्से की भूमि पर काफी रुपये खर्च कर उसे काबिज काश्त व उपजाऊ बनाया है। प्रार्थीया विरासत प्राप्त अपने 1/3 हिस्से की भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने की पूर्ण रूपेण अधिकारणी है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया को धमकी दिनांक 24-3-14 को दी है। प्रार्थीया को उक्त 1/3 हिस्से से बेदखल कर उसके हिस्से की जमीन पर जबरन कब्जा करेगे। प्रार्थीया को ऐसी क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति किसी कदर भी नही हो सकेगी। इस कारण अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। प्रथम दृष्टया केस सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीया के पक्ष में है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे प्रार्थीया की उक्त वर्णित भूमि मे 1/3 हिस्से मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, न प्रार्थीया के उपयोग व उपभोग में बाधा पैदा करे रिकार्ड व मौके कि यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र पेश होने पर

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

(उपखण्ड अधिकारी)
नीमकाथाना

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर एवं जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2/1 से 2/2, 3, 4 तथा 7 ता 9 जरिये वकील उपस्थित आये एवं जबाब पेश किया शेष अप्रार्थी विवाद्य तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी सं. 1 ने जबाब पेश कर जबाब के विशेष कथन में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियो को अप्रार्थी सं 2 के द्वारा किसी प्रकार की अपने हिस्से की भूमि का बेचान नही किया। भू-माफिया लोगो ने यह कहकर अप्रार्थी सं 2 को तहसील मे ले गये कि तेरे व तेरे भाई नन्दलाल / अप्रार्थी सं. 1 (उत्तरदाता) के मध्य उक्त भूमि बाबत जो विवाद चल रहा है उसका मिल बैठकर राजीनामा करवा देते हैं। राजीनामा के लिये कहकर इन्होने अप्रार्थी सं 2 स्व० गुल्ला उर्फ गुलझारी के तीन चार खाली कागजो व कई स्टाम्पो पर अंगुष्ठ निशानी करवा ली थी। अप्रार्थी सं 2 को उनकी फोटो प्रति भी नही दी। इन तथ्यो के बाबत उत्तरदाता को गुलझारी ने अपने जीवन काल में बताया था। उक्त भूमि पर बतौर वारिस अप्रार्थी सं 2 स्व० गुल्ला प्रार्थीया तथा अप्रार्थी सं 2/1 व अप्रार्थी सं 2/2 का कब्जा रहा है तथा आज भी है। दिनांक 22-12-2005 को उत्तरदाता के पक्ष मे उत्तरदाता का पैतृक हिस्सा मानकर 1/2 हिस्से की डिक्री मान० न्याया० द्वारा पारित की गई थी। इस प्रकार गुलझारी को सम्पूर्ण भूमि का बेचान करने का कोई हक एवं अधिकार नही था। उक्त भूमि प्रार्थीया एवं अप्रार्थी 2/1 ता 2/2 की पैतृक सम्पति है। जिसका विधिक बंटवारा नही हुआ। प्रार्थीया उक्त सम्पति मे 1/3 हिस्से की हिस्सेदार है अप्रार्थी सं 2/2 अपने 1/3 हिस्से पर अप्रार्थी सं 2/1 अपने 1/3 हिस्से पर भौतिक रूप से काबिज है उक्त भूमि की खातेदारी उपरोक्त हिस्सेवार दर्ज कर दी जाती है तो मिन उत्तरदाता सहमत है। अतः जबाब प्रा०पत्र अप्रार्थी सं. 1 की ओर से मान० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र की अनुतोषीय मद में चाहा गया अनुतोष प्रार्थीया के हक में डिक्री किया जाता है तो मुझ उत्तरदाता / अप्रार्थी सं. 1 पूर्ण रूप से सहमत है। प्रार्थना पत्र उत्तरदातागण के जबाब के अनुरूप निस्तारण फरमाया जावें।

अप्रार्थी सं 2 ने अपना जबाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो जबाब दाता अप्रार्थी सं-2 को कोई आपत्ति नही है।

अप्रार्थी सं 7 ता 9 ने प्रार्थना पत्र का जबाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 जिस तरह दर्ज की गई है कतई गलत है। वास्तव में भूमि ख०न० 659 रकबा 2.02 है० तथा ख०न० 825 रकबा 0.16 है० वाके तन गांवडी के प्रार्थी गैरसायल काबिज खातेदार काश्तकार है। तथा मौके पर गैरसायल का पुख्ता डोला करीब 5-6 फुट ऊंचा विवादित भूमि को खरीदने के तुरन्त बाद से बनवाया हुआ है। जिसकी जानकारी समस्त ग्राम वासियो को शुरु से ही रही है। ----4---

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

(उपखण्ड अधिकारी)
नीमकाथाना

वादी ने दावा व आवेदन हाजा कतई गलत तथ्यो को आधार बनाकर महज हैरान परेशान करके पैसा ऐठने की गर्ज से प्रस्तुत किया है। विवादित भूमि स्व. तुलसाराम की खातेदारी में आज तक कभी नही रही तथा तुलसाराम का देहावसान सन 1935-36 के आस पास ही हो गया था। राज० टीनेन्सी एक्ट के प्रभाव में आने के बाद ही जागिरदारो की भूमि काश्तकारो के नाम खातेदारी मे आई थी ऐसी सूरत में तुलसाराम के नाम खातेदारी होने का प्रश्न ही पैदा नही होता तथा तत्समय भी प्रचलित उत्तराधिकार अधिनियम के तहत भी वादी सायला को कोई अधिकार उदभूत नही होते वादिया ने बदनियति से दावा व दर० हाजा प्रस्तुत किये है जो कानूनन नाकाबिल पेश रफ्त है। वादिया का विवाह शायद आज 70 वर्ष पूर्व ही हो चुका था तब वह कोपर्सनर किस कदर हो सकती है इसी वजह से दावे व टी० आई हाजा में अपने पति का नाम व खुद की उम्र भी जानबूझकर अंकित नही की। प्रथम बन्दोबस्त के वक्त से ही विवादित भूमि गुल्लाराम पुत्र तुलसाराम की खातेदारी की भूमि रही है और विवादित भूमि के कब्जे काश्त से आज तक कभी भी कोई ताल्लुक किसी किस्म का नही रहा है। गुल्लाराम मानसिक सन्तुलन खराब होने की बात कतई गलत दर्ज की गई है वह पूर्णतः मानसिक रूप से स्वस्थ है। उसने अपने पुत्र व पौ० पर भी मुकदमात कर रखे है। गुल्लाराम ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करके विवादित भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र गैरसायल न० 5 व 6 के पक्ष में निष्पादित करवाया था। तत्पश्चात गैरसायल ने विवादित भूमि को उनसे जरिये रजि० विक्रय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त कर मौके पर पुख्ता सीमा दीवार का निर्माण उसी समय ही करवा लिया था और मौके पर काबिज काश्त है। वादिया शादी शुदा महिला है और अपने ससुराल मे रहती है। मौके पर कोई मंदिर भी नही है। विवादित भूमि पर आज तक वादिया का कोई कब्जा काश्त नही रहा न है। सायल के पक्ष मे कोई प्रथम दृष्टया वाद सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त नही है बल्कि गैरसायलान के पक्ष मे है। विवादित भूमि प्रथम सेटलमेन्ट के वक्त से ही गुल्लाराम की खातेदारी की भूमि रही है और उसने पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करके विवादित भूमि को जगरूप सिंह व मनीष भटनागर को जरिये रजि० विक्रय पत्र दिनांक 12-3-08 को किया था। गैरसायलान ने उक्त भूमि उक्त व्यक्तियो से पूर्ण प्रतिफल अदा करके जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय करके मौके पर कब्जा प्राप्त कर सम्पूर्ण भूमि के पुख्ता सीमा दीवार 5-6 फुट ऊंची लगा रखी है। गैरसायल ही काबिज है। सभी तथ्यो को जानते हुए वास्तविकता को छुपाकर दावा व दर० बदनियति से झूठे मुकदमा करके पैसा ऐंठने की गर्ज से प्रस्तुत किये है जो कानूनन चलने योग्य नही है। सायला अदालत के समक्ष क्लीनहैण्डस से नही आई है। अतः जवाब आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी। सायला द्वारा प्रस्तुत आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा मय खर्चा खारीज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर वकुलाय उभय पक्ष

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)
(उपखण्ड अधिकारी)
नीमकाथाना

की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने बताया कि पुराने भूमि ख०न० 659 व 825 के नये ख०न० 517 518 व 876 बनाये गये। यह भूमि राजस्व ग्राम गावडी में स्थित है। प्रार्थीया के पिता का नाम तुलसाराम था। उक्त भूमि का पर्चा चकबन्दी बुलसराम के नाम से जारी था। प्रार्थीया तीन भाई बहन है। उक्त भूमि की जमाबन्दी गुलझारी के नाम चली आ रही थी। विवादित भूमि मे प्रार्थीया का 1/3 हिस्सा है। गुल्ला उर्फ गुलझारी ने भूमि का दीगर लोगो को गलत बेचान कर दिया। गुल्ला का मानसिक सन्तुलन खराब था। नन्दलाल ने भी दिनांक 22/5/12 को दावा के जरिये 1/2 हिस्से की भूमि प्राप्त की थी। प्रार्थीया द्वारा अपने 1/3 हिस्से बाबत सिविल न्यायालय मे भी मुकदमा कर रखा है। विवादित भूमि पैत्रिक भूमि है। उक्त भूमि के 1/3 हिस्से पर वादिया का शुरू से कब्जा काश्त रहा है एवं आज भी है। अप्रार्थीगण प्रार्थीया की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है। अत वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावे। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने RRT 2014(2) पेज 965, RRT 2011-12 (SUP) - 680 व RRT 2015 (2) - 1445 की नजीर पेश की।

वकील अप्रार्थी सं। 1 व 2/1; 2/2 ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दौराने बहस वकील अप्रार्थी सं 7 ता 9 ने बताया कि प्रथम सेटलमेन्ट का पर्चा गुल्ला के नाम से आया था। 1956 से पहले पिता की सम्पति मे लडकियो को कोई अधिकार प्राप्त नही थे। विवादित भूमि की जमाबन्दी गुल्ला के नाम चली आई है। गुल्लाराम द्वारा पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर जरिये विक्रय पत्र दिनांक 12-3-08 को जगरूप सिंह व मनीष भटनागर को बेचान किया गया। उसके पश्चात जगरूप सिंह व मनीष भटनागर से उक्त भूमि अप्रार्थीगण 7 ता 9 ने क्रय की है। हम खातेदार गुल्ला के तीसरे खरीददार है। गुल्लाराम द्वारा जब दिनांक 12-3-08 को बेचान किया तब एतराज क्यो नही किया। वादिया/प्रार्थीया का विवादित भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा ना है। वकील प्रार्थीया द्वारा कब्जे बाबत कोई दस्तावेज पेश नही किया है ना ही प्रार्थीया का कब्जा साबित होता है। प्रार्थीया शादी शुदा महिला है अपने ससुराल रहती है। हम उक्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। एक रिकार्डेड खातेदार को टी० आई से पाबन्द नही किया जा सकता। खरीद शुदा भूमि के चारो ओर 5-6 फुट ऊंची दीवार बना रखी है एवं लगातार काबिज चले आये है। प्रार्थीया द्वारा महज हैरान व परेशान करने की गर्ज से गलत तथ्य अंकित करके प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कानूनन चलने योग्य नही है। प्रार्थीया द्वारा केवल मात्र पैसा ऐंठने बाबत मुल प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रथम दृष्टया केस सुविधा का सन्तुलन अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीया के पक्ष मे ना होकर अप्रार्थी सं 7 ता 9 के पक्ष मे है। दौराने बहस वकील अप्रार्थी सं 7 ता 9 ने RRT 2013 (1) पेज 133, RRT 2013 828, RRT 2014 (2) 1301 व RRT 2010 (1) 588 नजीर पेश करते

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

----6----

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारीज किये जाने की इस्तदुआ की।

वकुलाय उभय पक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय न्यायालय को देखना होता है कि क्या प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु बनते है अथवा नही। प्रत्येक बिन्दु पर विवेचन निम्न प्रकार है।

1. प्रथम दृष्टया मामला:- प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अवलोकन विवादित भूमि के खातेदार प्रार्थीया ना होकर अप्रार्थी 7 ता 9 होना पाये जाते है। अप्रार्थी 7 ता 9 ने उक्त भूमि पूर्ण प्रतिफल अदा करके जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा खरीद की गई थी जिस विक्रय पत्र की फोटो प्रति शामिल पत्रावली है। प्रार्थीया द्वारा स्व बुलाराम के नाम का चकबन्दी पर्चा प्रस्तुत कर उसके आधार पर घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है। एवं विवादित भूमि पर अपना कब्जा बता कर आ रही है। जबकि उक्त विवादित भूमि का प्रथम सैटलमेन्ट का पर्चा गुल्लाराम के नाम जारी हुआ है एवं उसी वक्त से उसी के नाम खातेदारी रिकार्ड में चली आ रही थी। प्रार्थीया उक्त भूमि पर अपना कब्जा बता कर आ रही है परन्तु प्रार्थीया द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज (खसरा गिरदावरी) पेश नही किया गया जिससे विवादित भूमि पर कब्जा होने की पुष्टि होती हो एवं कब्जा साबित होता हो। अप्रार्थी 7 ता 9 द्वारा विक्रय पत्र की फोटो प्रति पेश की है जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण भूमि क्रय करके कब्जा प्राप्त किया है एवं खातेदारी प्राप्त की गई है। खातेदार गुल्लाराम द्वारा प्रथम बेचान जगरूप सिंह व मनीष भटनागर को किया था जिनसे उक्त भूमि जरिये विक्रय पत्र अप्रार्थीगण 7 ता 9 ने क्रय की है। गुल्लाराम द्वारा प्रथम बेचान उक्त भूमि का दिनांक 12-3-2008 को किया था जिसको आज लगभग 10 वर्ष का समय हो गया। उस वक्त प्रार्थीया द्वारा उस बेचान के विरुद्ध कार्यवाही या उस समय कोई कार्यवाही की गई हो ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थीया द्वारा पेश नही किया गया है। प्रार्थीया द्वारा दौराने बहस वाद सं 88/88 मे न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री की फोटो प्रति पेश की गई जिससे वाद मे हुई कार्यवाही के सम्पूर्ण तथ्यो की स्पष्ट जानकारी होना नही पाई जाती है तथा नाही प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीया द्वारा अपनी उम्र अंकित की गई है इसलिए इन सभी तथ्यो से यह भी प्रतीत होता है कि प्रार्थीया न्यायालय में स्वच्छ हाथो से नही आयी है। अप्रार्थीगण 7 ता 9 उक्त भूमि के तीसरे खातेदार है जिन्होने सम्पूर्ण प्रतिफल अदा करके जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर भूमि खरीद करके कब्जा प्राप्त किया है।

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)

(उपखण्ड अधिकारी)
नीमकाथाना

जिस बाबत अपनी खरीद शुदा भूमि का उपयोग व उपभोग करने के लिए अप्रार्थी 7 ता 9 पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। प्रार्थीया का यह कथन की अप्रार्थी का कब्जा नही है परन्तु प्रस्तुत रिकार्ड शपथ पत्र व विक्रय पत्र से अप्रार्थी 7 ता 9 का कब्जा साबित होता है। प्रथम दृष्टया मामला देखने के लिए कब्जा होना आवश्यक है जो प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार कब्जा प्रार्थीया का ना होकर विवादित भूमि पर अप्रार्थी 7 ता 9 का साबित होता है। इसलिए रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। प्रार्थीया ना तो विवादित भूमि की खातेदार है ना ही प्रार्थीया अपना कब्जा साबित कर पाई है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्य परिस्थितियो प्रस्तुत दस्तावेजात तथा दौराने सुनवाई विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क वितर्कों को ध्यान में रखते हुए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में बनना नही पाया जाता है।

2. सुविधा का सन्तुलन :- जहाँ तक इस बिन्दु का प्रश्न है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की दशा मे ज्यादा असुविधा अप्रार्थीगण को होगी क्योकि अप्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थीया द्वारा वाद के जरिये घोषणा चाही गई है यदि वह मूल वाद में सफल हो जाती है तब प्रार्थीया के पक्ष में विवादित आराजी का स्वमेव स्वामित्व एवं आधिपत्य होगा परन्तु प्रकरण की इस स्टेज पर सुविधा का बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष मे ना होकर अप्रार्थीगण 7 ता 9 के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त :- जहाँ तक इस बिन्दु का प्रश्न है प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किये जाने की दशा मे प्रार्थीया को कोई विधिक हानी नही होकर किसी अपूरणीय क्षति के कारित होने की सम्भावना नही है। क्योकि विक्रय पत्र द्वारा भूमि बेचान होने की बात स्वयं प्रार्थीया स्वीकार करके जा रही है। अप्रार्थी का कब्जा विक्रय पत्र से साबित हो रहा है। एवं अप्रार्थी 7 ता 9 रिकार्डेड खातेदार है इसलिए प्रार्थीया से ज्यादा अपूरणीय क्षति होने की सम्भावना अप्रार्थी 7 ता 9 को है। यह बिन्दु भी प्रार्थीया प्रमाणित करने में असफल रही है।

इस प्रकार प्रार्थीया अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु साबित करने में असफल रही है।

आदेश

परिणामस्वरूप प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारीज किया जाता है।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
(उपखण्ड अधिकारी)

निर्णय आज दिनांक 12-2-2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
(उपखण्ड अधिकारी)